



भारत सरकार

Government of India खान मंत्रालय

Ministry of Mines भारतीय खान ब्यूरो

Indian Bureau of Mines

पजाकृत पावता उल्लंघन पत्र माखुपूरा औद्वोगिक क्षेत्र

माखुपूरा आद्वागिक क्षत्र Makhunura Industri

दिनांक :

Makhupura Industrial Area अजमेर.—305 002 (राजस्थान)

Ajmer- 305 002 (Rajasthan) फैक्स नं 0145,2695202 फोन नं 2695165

07.04.2022

Mine Code: 30RAJ06001

संख्या : RAJ/BLW-426/IO-01

प्रेषित : Mine Agent

M/s Jindal Saw Ltd., Araji No. 9697/6711,

Near Tiranga Hills, Village-Pur,

Tehsil & District-Bhilwara 311 802 (Rajasthan)

Email-sunil.pandey@jindalsaw.com, dinesh.patil@jindalsaw.com

विषय: Violation of provisions of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 in respect of your Dhedwas

Iron Ore, Copper & Associate Minerals Mine (Lease area 1556.7817 Ha.) in Bhilwara District of Rajasthan

State.

महोदय.

The following provisions of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated in your above mine during the inspection made on 06.03.2022 by the undersigned in presence of Sh. Dinesh S Patil, Mine Agent:

Rule No.	Nature of violation observed in detail
Rule 11(1)	The mining operations are carried out in violation of following provisions of approved Review of Mining Plan(Approved on 04.03.2020): 1) Bench height & width have not been maintained as per approved proposal in Suras, Dulkhera North & Dulkhera South Pit.
47	Notice of sinking of bore holes in Form-I in respect of exploration drilling has not been submitted for the financial year 2021-22.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों के उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के अन्तर्गतः

(क) आपकी खदान की सारी संकियाएं बंद की जा सकती हैं।

(ख) आपके विरूद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।

(ग) खनन पटटा खंडन की अनुसंशा की जा सकती है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पेतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

ab. y.

(डी. आर. गुर्जर) वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक भारतीय खान ब्युरो

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

1 खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर (ई मेल द्वारा)

2 निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपूर।

3 खिन अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, भीलवाड़ा।

4 रक्षित पत्रावली।

An. T.

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो